

सेवा में,

Smt. Reahni Sinha,  
 W/o Sri Vikas Kumar,  
 Inderpuri Rd. No.1, Ratn Road, Ranchi.

हित :- भवन प्लान संo-16/2017 की स्वीकृति के संबंध में।

महाराष्ट्र, उपरोक्त भवन प्लान बाद संख्या के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा आवेदित भवन प्लान की स्वीकृति नगर निवेशक के द्वारा निर्मांकित शर्तों के साथ भवन उपविधि 2016(संशोधित 2017) के तहत दी गई है:-

- १) भवन की स्वीकृति से आवेदक को प्रश्नगत भूमि पर भू-स्थानित का प्रमाण स्थापित नहीं होगा।
- २) संशोधित नवशे के अनुरूप नया नवशा Location Map एवं Key map के साथ घार प्रतियों में जमा करना है।
- ३) अवशेष राशि (Fee) ₹ 16,812/- जमा करना है।
- ४) 1% सेवर सेस राशि (Fee) ₹ 1,13,920/- जमा करना है।
- ५) नाली निर्माण हेतु ₹ 1,60,075/- जमा करना है।
- ६) आवेदक को निम्न शर्तों के अनुपालन का शपथ पत्र देना है:-

वृक्षारोपण, तटित चालक एवं Rain water Harvesting का अधिष्ठापन, निर्बंधित डेवलपमेंट एपीमेंट/स्वयं निर्माण करना, अग्निशमन पदाधिकारी से प्राप्त मंत्र्य/सुझाव का अनुपालन करना, प्रभावी उपविधि 2016(संशोधित 2017) एवं झारखण्ड अपार्टमेंट एक्ट 2011, RERA का अनुपालन स्वीकृत नवशे के अनुसार Plinth Level तक निर्माण कर नवशे की छायाप्रति के साथ प्राधिकार को जाँच के लिए सूचित करना हेतु के प्राकृतिक ढलान के कारण प्राधिकार आवश्यकता के अनुसार आवेदित भूखंड पर नाली का निर्माण करवा सकता है।

- ७) पथ औड़ीकरण हेतु 13.67 वर्गमीटर भूमि का निर्बंधित गिप्ट डीड जमा करना है। आवेदक उक्त भूमि को छोड़कर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण करेंगे एवं उप पर भूमि की विवरणी एवं क्षेत्रफल देते हुए एक बोर्ड लगाया जायेगा जिसमें "यह भूमि रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार की परिस्थिति है" अंकित रहेगा। उक्त भूमि का दखल-दिहानी प्राधिकार के कर्नीय अभियंता को करना होगा। दखलकब्जा संबंधी कागजात पर तीन घटियों का हस्ताक्षर आवश्यक होगा।


- ८) Builder Registration, Registered Development Agreement, Structural Stability Certificate, Schedule of Doors & Windows, भू-गर्भ जल का Hydrogeologist Report, तथा स्वच्छ प्रति नवशा जमा करना है, अतिरिक्त भूमि (14.88m<sup>2</sup>) से संबंधित शपथ पत्र,
- ९) कड़िका १ से ७ तक सभी शर्तों का अनुपालन तीन महिने के अन्दर करना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा बिना किसी सूचना के स्वीकृत भवन प्लान रद्द कर दिया जायेगा।

- १०) भवन प्लान की स्वीकृति का तात्पर्य सिर्फ झारखण्ड भवन उपविधि 2016(संशोधित 2017) कंडिका 2.7.1 एवं 27.2 के आलोक में भवन निर्माण की अनुमति है, इनमें निम्न का समावेश नहीं है:-

- भवन एवं जमीन पर मालिकाना हक।

- सुखमोग अधिकार।
- किसी भी भूखंड के क्षेत्रफल का असिलेखित क्षेत्रफल से परिवर्तन।
- भवन निर्माण में सेवा सुविधा की गुणवत्ता।
- किसी भूखंड/स्थल के प्राकृतिक ढलान का ध्यान न रखने के कारण जल जमाव की स्थिति।
- अन्य नियम एवं कानून के अन्तर्गत भूखंड/घर के लिए वांछित अन्य आवश्यकताएं/अनुज्ञापति।

- ११) भवन प्लान की स्वीकृति के बाद यदि यह पाया जाता है कि आवेदक ने धोखाघड़ी या गलतबयानी (Misrepresentation of facts or fraudulent statement) से इसकी स्वीकृति प्राप्त की है तो भवन उपविधि की कंडिका 17.1 के अन्तर्गत इस भवन की स्वीकृति रद्द कर दी जायेगी।

  
 नगर निवेशक,  
 राँकेविंप्रांत, राँची।